संख्या-04/2018/2465/पन्चानवे-17-12 बजट/16

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषय: आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद फतेहगढ में जिला होमगार्डस कार्यालय के निर्माण की द्वितीय किस्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9272/लेखा/भवन निर्माण-21/2016 (फतेहगढ) पार्ट-1 दिनांक 24.11.2017 एवं पत्र संख्या-9941/लेखा/भवन निर्माण-21/2016 (फतेहगढ) पार्ट-1 दिनांक 12.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2 उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-48/2016/2035/पन्चानबे-2016-12 बजट/16 दिनांक 13.10.2016 के क्रम में जनपद फतेहगढ में कराये जा रहे जिला होमगार्डस कार्यालय के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि रू0 56,38,000/- (रूपये छप्पन लाख अड़तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2018 तक सुनिश्चत किया जायेगा तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुतिस्तकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(3) शासनादेश संख्या-48/2016/2035/पन्चानबे-2016-12 बजट/16 दिनांक 13.10.2016 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0101-होमगार्डस विभाग की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

.......2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2018/2465(1)/पन्चानवे-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-VI-21011/84(xi)/2014-PM-I दिनांक 17 मार्च, 2015 के क्रम में।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, होमगाडर्स मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायत) अनुभाग।
8. बजट सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है